

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Misc. Revenue Revision Case No.-14/2025]

Hem Narayan Mandal.....Appellant

Versus

State of Bihar & Others.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date										
1	2	3	4										
	29.9.2026	आदेश प्रस्तुत विविध राजस्व पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्ता, सुपौल के विविध राजस्व वाद सं0-152/2022 (नरेश कुमार मिश्र बनाम चिन्तेश्वर मंडल) में दिनांक-19.10.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। पूर्व में निम्न न्यायालय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO-16982/2024 दाखिल किया गया, जो दिनांक-12.11.2024 को स्वयं पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वापस ले लिया गया। विवादित भूमि का विवरण:- <table><tr><th>मौजा</th><th>विवादित जमाबंदी</th><th>खाता</th><th>खेसरा</th><th>रकवा</th></tr><tr><td>पथरा, टोला-जोल्हनिया</td><td>983</td><td>1077</td><td>788</td><td>0-7-8-3-0</td></tr></table> उक्त विवादग्रस्त भूमि के संदर्भ में उभयपक्ष का अपना-अपना का दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनरीक्षणकर्ता का कथन है कि - - पुनरीक्षणकर्ता अपने पिता के बड़े पुत्र है, जिसके नाते उनके द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन उनकी मृत्यु के पश्चात दाखिल किया गया है। पूर्व में उन्हें अधिवक्ता द्वारा गलत सलाह दिये जाने के कारण उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दाखिल किया गया था, जो उनके द्वारा स्वयं वापस ले लिया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। - उनका दावा है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक-19.10.2023 को पारित आदेश एक त्रुटिपूर्ण आदेश है। जिसमें सुधारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। - निम्न न्यायालय में जमाबंदी वाद सं0-06/2001-02 एवं 11/2001-02 में दिनांक-19.03.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया था। जिसके तहत उनके नाम से चल रही कुल 02 बीघा 13 कट्टा 08 धूर 07 धूरकी की जमाबंदी सं0-983 को खारिज किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के नाम से चल रही उक्त जमाबंदी दाखिल खारिज वाद सं0-860/86-87 के माध्यम पुराना जमाबंदी सं0-05, 49, 83, 122, 123, 126 को मिलाकर कायम किया गया है, जिसमें खाता सं0-1077, खेसरा सं0-1842 रकवा- 18 धूर, खेसरा सं0-1816 रकवा-10 धूर एवं खेसरा सं0-788 रकवा- 07 कट्टा 08 धूर 03 धूरकी के साथ अन्य खेसरा मिलाकर कुल रकवा-02 बीघा 13 कट्टा आठ धूर 07 धूरकी है। - कैलाशपुरी मेला समिति जौल्हनियाँ द्वारा मात्र खाता सं0-1077 के खेसरा सं0-788 रकवा-07 कट्टा 08 धूर 03 धूरकी गैरमजरूआ खास भूमि के विरूद्ध निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया था। उक्त भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा गलती से किसी को बन्दोवस्त कर दिया गया था, जिसके द्वारा उक्त भूमि उनके पिता-चिन्तेश्वर मंडल को बेची गई तथा जमाबंदी सं0-983 कायम हुआ। चूंकि उक्त गैरमजरूआ भूमि पर विगत कई वर्षों से मेला का आयोजन होता रहा है, जिसके कारण जमाबंदी सं0-983 को सुधार किया गया। - निम्न न्यायालय में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त सरकारी खाता सं0-1077 से संबंधित लिखित रूप से अपना विधिक दावा एवं भौतिक दखल कब्जा वापस ले लिया गया। इसके बावजूद निम्न न्यायालय द्वारा जमाबंदी सं0-983 के अन्तर्गत चल	मौजा	विवादित जमाबंदी	खाता	खेसरा	रकवा	पथरा, टोला-जोल्हनिया	983	1077	788	0-7-8-3-0	
मौजा	विवादित जमाबंदी	खाता	खेसरा	रकवा									
पथरा, टोला-जोल्हनिया	983	1077	788	0-7-8-3-0									



२९.९.२०२६

रही अन्य रैयती खेसरा की जमाबंदी को भी रद्द कर दिया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा इस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता के अन्य रैयती खेसरा की भूमि की जमाबंदी भी उसी के अन्तर्गत चल रही थी। जमाबंदी सं०-९८३ के अन्तर्गत सरकारी खाता सं०-१०७७ की कुल भूमि ०८ कट्ठा १६ धूर ०३ धूरकी को छोड़कर ०२ बीघा ४ कट्ठा ०८ धूर ०७ धूरकी रैयती भूमि उनकी हैं।

- उनका दावा है कि निम्न न्यायालय में उनके द्वारा खाता सं०-१०७७ का खेसरा सं०-७८८ के साथ-साथ खेसरा सं०-१८४२ एवं १८१६ से भी दावा वापस ले लिया गया है जबकि मेला समिति द्वारा निम्न न्यायालय में मात्र खेसरा सं०-७८८ पर ही अपना दावा किया गया था।

उपरोक्त के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विविध राजस्व पुनरीक्षण वाद सं०-१५२/२००२ में दिनांक-१९.१०.२०२३ को पारित आदेश को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, पिपरा को जमाबंदी सं०-९८३ से खाता सं०-१०७७, खेसरा सं०-७८८, १८४२ एवं १८१६ कुल रकवा- ०८ कट्ठा १६ धूर ०३ धूरकी को विलोपित करते हुए शेष रकवा- ०२ बीघा ०४ कट्ठा १२ धूर ०४ धूरकी की जमाबंदी जारी रखने संबंधी आदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

- माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO-१६९८२/२०२४ दाखिल किया गया जो दिनांक-१२.११.२०२४ को पारित आदेश की छायाप्रति।
- निम्न न्यायालय आदेश की वजाप्ता नकल।

विपक्षी सं०-०५ (सुनील कुमार पासवान वर्तमान सचिव कैलाशपुरी मेला समिति जोल्हनियाँ) का कथन है कि -

- पुनरीक्षणकर्ता निम्न न्यायालय में अपने पिता के मृत्यु उपरांत स्वयं को प्रतिस्थापित करते हुए जवाब दाखिल किये थे, जिसमें उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन से अपना दावा वापस लेते हुए प्रश्नगत जमीन को कैलाशपुरी मेला समिति को समर्पित करने की बात की गई है। इसके अलावा उनके द्वारा स्वयं अथवा उसके परिवार के भविष्य में किसी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा। इस आशय का जवाब उनके द्वारा समर्पित किया गया है। निम्न न्यायालय में उनके द्वारा स्वयं जमाबंदी सं०-९८३ को रद्द करते हुए कैलाशपुरी मेला समिति के नाम संधारित करने का अनुरोध किया गया है।
- जाँच क्रम में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत जमीन साविक खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास की जमीन है, जिसका किस्म बरगद, पीपल व कब्जे मालिकान- विषहरी शिव स्थान इस नं० में पुश के पुरणमासी के दिन विलास मेला भगवती मेला का होता है, दर्ज है। साथ-ही उक्त जमीन का हाल सर्वे खतियान अनावाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है।
- निम्न न्यायालय में पुनरीक्षणकर्ता के पिता द्वारा अथवा स्वयं पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जमाबंदी सं०-०५, ४९, ८३, १२२, १२३ एवं १२६ को जमाबंदी सं०-९८३ में सम्मिलित होने का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि इस पुनरीक्षण वाद में यह नया तथ्य उनके द्वारा लाया गया है, जो विधि एवं न्याय के अनुकूल नहीं है।
- पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस वाद में पुराना खेसरा सं०-१८४२ एवं १८१६ के बावत जो उल्लेख किया गया है, निम्न न्यायालय में उनके द्वारा इस बावत कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

तदालोक में विपक्षी सं०-०५ के द्वारा इस विविध राजस्व पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

निम्न न्यायालय आदेश :-

उभयपक्ष द्वारा समर्पित लिखित प्रतिवेदन, बहस तथा निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन की भी समीक्षा की। समीक्षोपरांत स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन गैरमजरूआ खास खाते की जमीन है तथा सी०एस० खतियान में



१२

२९.१२.२०२६

गैरमजरूआ खास दर्ज है। श्री हेम नारायण मंडल जो विपक्षी चिन्तेश्वर मंडल के पुत्र हैं के द्वारा समर्पित लिखित प्रतिवेदन में बताया गया कि चिन्तेश्वर मंडल की मृत्यु हो चुकी है एवं वे संयुक्त परिवार के कर्त्ता-धर्ता हैं। प्रश्नगत जमीन भगवान शिव के स्वामित्व की है जो कैलाशपुरी मेला समिति के द्वारा संचालित की जाती है, उक्त भूमि से अपना अधिकार एवं दखल वापस लेते हुए इसे कैलाशपुरी मेला, समिति को समर्पित करते हैं। भविष्य में इनके द्वारा अथवा इनके परिवार के सदस्यों द्वारा उक्त भूमि पर कोई दावा नहीं किया जायेगा। उनके द्वारा विपक्षी चिन्तेश्वर मंडल के नाम कायम जमाबंदी सं०-१८३ को खंडित करने का अनुरोध किया गया।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय अपर समाहर्ता, सुपौल द्वारा पारित आदेश दिनांक १९.०३.२००२ को निरस्त करते हुए विपक्षी के नाम सृजित जमाबंदी सं०- १८३ को रद्द करते हुए अंचल अधिकारी, पिपरा को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत जमीन अपने संरक्षण में लेना सुनिश्चित करेंगे।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि :-

१. निम्न न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता की जमाबंदी सं०-१८३ को इस आधार पर पूर्ण रूपेण खारिज कर दिया गया है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत अनावार बिहार सरकार खाता की भूमि की जमाबंदी चल रही थी। जबकि इस पुनरीक्षण वाद में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत उनकी अन्य रैयती भूमि की भी जमाबंदी चल रही है।
२. निम्न न्यायालय में प्रश्नगत मेला समिति का दावा मात्र वादगत खाता १०७७ के खेसरा सं० ७८८ के संदर्भ में है। जबकि इस पुनरीक्षण वाद की सुनवाई के क्रम में यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ है कि उक्त सरकारी खाता सं०-१०७७ के अन्तर्गत खेसरा सं०-७८८ के अलावा अन्य दो खेसरा यथा खेसरा सं०-१८४२ एवं १८१६ भी है, जो सरकारी है। निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया गया है।
३. जहाँ तक पुनरीक्षणकर्त्ता के इस दावे का प्रश्न है कि उक्त जमाबंदी सं०-१८३ के अन्तर्गत उनकी अन्य रैयती भूमि की भी जमाबंदी चल रही है, के संबंध उनके द्वारा इस न्यायालय में कोई भी ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसपर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सके। इसके बावजूद पुनरीक्षणकर्त्ता का उक्त दावा विचारणीय है, जिसके संदर्भ में स्पष्ट आदेश पारित किया जान अपेक्षित है।

इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक १९.१०.२०२३ को पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए इस वाद को Remand Back करते हुए समाहर्ता, सुपौल को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विवेचनाओं के आलोक में उभयपक्ष की पुनः सुनवाई कर संगत साक्ष्यों के आधार पर मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। पुनरीक्षणकर्त्ता यदि चाहे तो संगत साक्ष्यों के साथ समाहर्ता, सुपौल के न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए जमाबंदी सं०-१८३ के संदर्भ में वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस करें।


आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा